संख्या-480/2026/1309/22-2-2025-17(17)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लखन लोहार पुत्र श्री गजराज लोहार, निवासी जनपद-महोबा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025), दिनांक 25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लखन लोहार पुत्र श्री गजराज लोहार (दिनांक 01.09.2022 तक बंदी की आयु 47 वर्ष 01 माह 01 दिन) पिपरी, थाना-महोबकण्ठ, जनपद-महोबा का निवासी है। पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद में बन्दी ने दिनांक 07.08.2006 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-17/07, 110/07 में भा0द0वि0 की धारा-302 452, 147, 148 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, महोबा के आदेश दिनांक 05.01.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 01.09.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 05 माह की मात्र सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, महोबा ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल से रिहा होने पर घटना की पुनरावृत्ति रोकने व समाज पर व्यापक प्रभाव होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद में बन्दी ने दिनांक 07.08.2006 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लखन लोहार पुत्र गजराज लोहार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लखन लोहार (बंदी संख्या-1599/2011) पुत्र श्री गजराज लोहार, निवासी जनपद-महोबा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-480/2026/1309 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
2- पुलिस अधीक्षक, महोबा।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-480/2026/1309/22-2-2025-17(17)/2024

दिनांक 08 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लखन लोहार पुत्र श्री गजराज लोहार (दिनांक 01.09.2022 तक बंदी की आयु 47 वर्ष 01 माह 01 दिन) पिपरी, थाना-महोबकण्ठ, जनपद-महोबा का निवासी है। पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद में बन्दी ने दिनांक 07.08.2006 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-17/07, 110/07 में भा0द0वि0 की धारा-302 452, 147, 148 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, महोबा के आदेश दिनांक 05.01.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 01.09.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 05 माह की मात्र सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, महोबा ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल से रिहा होने पर घटना की पुनरावृत्ति रोकने व समाज पर व्यापक प्रभाव होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद में बन्दी ने दिनांक 07.08.2006 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचे से गोली मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी लखन लोहार पुत्र गजराज लोहार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।